# पूर्वोत्तर रेलवे

## अधिसूचना

अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत निर्धारित ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल द्वारा संबंधित यूनिट/ईकाई में दिया जायेगा।

आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा जिसका नमूना संलग्न है सभी प्रमाण पत्रों एंव फोटो को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित व स्वहस्ताक्षरित प्रति सहित दिनांक–12.08.16 तक निम्न पते पर भेज सकते हैः–

पता–मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक),
पूर्वोत्तर रेलवे, अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001

1– वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर(समाडि) पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ द्वारा दिये गये निम्न ट्रेडों के विरूद्ध 28 प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है। जिनका विवरण निम्नलिखित है।

| क. सं. | ट्रेड | कुल रिक्तियां | सामान्य | अ0जा0 | अ0ज0जा0 | अपिव | प्रशिक्षण अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फिटर | 22 | 11 | 03 | 02 | 06 | 01 वर्ष |
| 2 | वेल्डर | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 वर्ष |
| 3 | कारपेन्टर | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 वर्ष |
| 4 | ट्रीमर | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 वर्ष |
| 5 | मशीनिष्ट | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 वर्ष |
| 6 | पेन्टर | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 वर्ष |
| | योग | 28 | | | | | |

नोट–(कृपया सिर्फ इन्हीं ट्रेडो के अभ्यर्थी आवेदन करें।)

2– रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–ई(एमपीपी) 2009/6/14 दिनांक–06.10.2015 द्वारा निर्देशित शर्तो के अनुसार आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस 100/– रूपये का पोस्टल आर्डर संलग्न करना होगा। जो विसमुलेधि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के नाम से सम्बोधित होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एंव शारीरिक रूप से विकलांग/महिला उम्मीदवार को प्रोसेसिंग फीस से छूट प्रदान की गयी है।

3– चयन मेरिट के आधार पर की जायेगी जो मैट्रिक परीक्षा तथा आईटीआई में प्राप्त कुल अंको के औसत के आधार पर होगी। शैक्षिणिक/तकनीकी अर्हता–हाईस्कूल में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान (नेशनल कौसिंल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी) से आईटीआई पास प्रमाण पत्र आवश्यक है।

4– आयु–अधिसूचना जारी होने की तिथि को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच अर्थात अधिकतम 24 वर्ष। आयु सीमा में अ0जा0/अ0ज0जा0 को 05 वर्ष एंव अपिवा को 03 वर्ष की छूट देय होगी।

5– प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को अप्रेन्टिस एक्ट–1961 के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार मासिक वृत्तिका देय होगी।

6– नियुक्त प्रशिक्षु के रूप में अभ्यर्थी की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावक संविदा समझौता (एग्रीमेंट) कर लेगें।

7– प्रशिक्षार्थी अप्रेन्टिस एक्ट–1961 नियम के अन्तर्गत जो भी शर्त होगी मानने के लिए बाध्य होगा तथा इस नियम के अन्तर्गत दी गयी शर्तो की उल्लघन की स्थिति में प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा। तथा इन्हें प्रशिक्षण पर व्यय किये गये धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरक्ति यदि प्रशिक्षण अवधि में प्राशिक्षार्थी का आचरण उत्तम नहीं पाया गया तो प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा। तथा उसे प्रशिक्षण का व्यय वहन करना पड़ेगा इसमें रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

8– प्रशिक्षार्थी को मात्र अप्रेन्टिस प्रशिक्षण पूरा पास करने के आधार पर रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

9– रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–ई(एमपीपी)/2002/6/10 दि0–31.7.06 के अनुसार सेवा के जवानों के बच्चों एंव भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगें इसके अतिरिक्त 3 प्रतिशत सीटें विकलांग कोटे (1 प्रतिशत ओ.एच.,1 प्रतिशत वी.एच. एंव 1 प्रतिशत एच.एच.) के लिए आरक्षित होगें।

10– आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये आवेदन पत्र की सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

11– किसी भी अभ्यर्थी का चयन रेल प्रशासन किसी भी समय रद्द कर सकता है और इस संबंध में कोई पत्राचार/साक्षात्कार मान्य नहीं होगा। रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

12– डाक द्वारा भेजी गयी सूचना नहीं मिलने पर भी रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

13– चयनित अभ्यर्थियों की सूची मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा तथा पूर्वोत्तर रेलवे के वेवसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।

14– यदि कोई चयन के लिए किसी प्रकार पैरवी स्वंय अथवा किसी अन्य के माध्यम से करायेगा तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

15– रेलवे में कार्यरत कर्मचारी अपने आश्रित पुत्र/पुत्री का आवेदन पत्र एंव अपना घोषणा पत्र इस कार्यालय को सीधे दे सकते परन्तु चयन में किसी प्रकार की प्राथमिकता का प्रावधान नहीं है।

16– आवेदन पत्र को लिफाफा में बन्द करके एंव रजिस्र्टड डाक से ''मण्डल रेल प्रबन्धक(का0) पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ (उ0प्र0) के पते पर भेजना होगा। लिफाफे पर आवेदक का नाम, संबंधित ट्रेड एंव एक्ट अप्रेन्टिस प्रशिक्षु चयन हेतु आवेदन पत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए।

17– फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी सभी अर्हता पूर्ण करते हो अर्थात हाईस्कूल/आईटीआई का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका हो आवेदन भेज सकते है अन्यथा उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

18– उक्त अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेवसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नक–आवेदन पत्र का प्रारूप एंव घोषणा पत्र का प्रारूप।

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(का0)
लखनऊ

सं0–ई/II/227/एक्ट अप्रेन्टिस /मैके0(सीएण्डडब्लू)/ट्रेनिंग/पार्ट–I/2016 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाप्रबन्धक(का0) गोरखपुर
2– मं0रे0प्र0/अ0मं0रे0प्र0/लखनऊ
3– सभी विभागाध्यक्ष/पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ
4– मं0रे0प्र0 पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी एंव इज्जतनगर
5– कोचिंग डिपो/लखनऊ,गोण्ड,गोरखपुर
6– मुख्य कारखाना प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
7– मुख्य कारखाना प्रबन्धक सिगनल कारखाना पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर छावनी
8– समस्त सी0से0इंजी0 लखनऊ मण्डल
9– मण्डल मंत्री/नरमू/एससी,एसटी/ओबीसी एसोसिएशन/लखनऊ
10–जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ–कृपया समाचार पत्रों तथा रोजगार सूचना पत्र में प्रकाशन की व्यवस्था करायें।
11–रिजनल डाइरेक्टर अप्रेन्टिस ट्रेनिंग उद्योग नगर कानपुर
12– क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ
13– सूचना पट्ट मं0रे0प्र0 कार्यालय

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
लखनऊ

सेवा में,

मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ।

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

विषयः– प्रशिक्षु प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भः– इस कार्यालय की अधिसूचना सं0–ई/।।/227/एक्ट अप्रै0/मैके0 (सीएण्डडब्लू)/ट्रेनिंग/पार्ट–।/2016 दिनांक–

उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ प्रार्थी ट्रेड प्रशिक्षु/प्रशिक्षण पद के लिए आवेदन करता है तथा यह भी घोषित करना कि मेरे ऊपर अप्रेन्टिस एक्ट एंव समय–समय पर परिवर्तित सभी नियम लागू होगें।

(आवेदक द्वारा स्वंय भरा जाना है)

1– आवेदक का नाम................................................

2– पिता का नाम तथा व्यवसाय...............................

3– जन्मतिथि.............................. अधिसूचना के दिन आयु............. वर्ष.............माह........... दिन..............

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4– स्थाई निवास/पत्र व्यवहार का पूरा पता

ग्राम/मोहल्ला...................................................डाकखाना.............................................

जिला....................................... प्रदेश.............................पिन कोड.............................

5– क्या अनु0जाति/अनु0जन जाति व अपिव के अभ्यर्थी है यदि हां तो स्पष्ट रूप से लिखेः–

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

जाति..............................उपजाति............................

6– राष्ट्रीयता........................................... धर्म.......................................

7– विवाहित/अविवाहित.

यदि विवाहित है तो क्या एक से अधिक पत्नी हैः– हॉ.................... नहीं...........................

8– शैक्षणिक योग्यताः–

| परीक्षा | वर्ष | विद्यालय का नाम | विषय | प्रतिशत अंक | संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9– तकनीकी योग्यताः–

| परीक्षा | वर्ष | विद्यालय का नाम | ट्रेड | प्रतिशत अंक | नेशनल कौसिंल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग(NCVT) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

उपरोक्त शैक्षिक एंव तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा जारी प्राप्तांक तालिका एंव प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

10– अन्य योग्यतायें..........................................................
(सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11– दो स्थाई शारीरिक पहचान चिन्ह
अ..........................................................................................
ब........................................................................................

12– दो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
13– यदि आवेदक के पिता रेल कर्मचारी है तो संलग्न प्रमाण पत्र विभागीय राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर जमा करें।

दिनांक..............................

..........................................

...

आवेदक का हस्ताक्षर

पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल में प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पुत्र/पुत्री के चयन हेतु कार्यरत कर्मचारियों का घोषणा पत्र।

1— कर्मचारी का नाम.......................................................

2— पी0एफ0सं0...................................................................

3— पदनाम......................................................................

4— विभाग/शाखा........................................................

5— नियुक्ति तिथि..............................................................

6— वेतनमान...................................................................

7— वर्तमान वेतन............................................................

8— पुत्र/पुत्री का नाम...........................................

(जिसका आवेदन पत्र संलग्न किया है)

9— अन्य पुत्र/पुत्रियों का नाम जो रेलवे में सेवारत है.........................................................

.........................................................................................

.......................................................................................

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री श्री......................................................... जिसका आवेदन पत्र संलग्न है ने आवेदन पत्र में जो विवरण दिया है वह सत्य है यह मेरे ऊपर आश्रित है। यदि इसमें कोई बात असत्य पायी जाती है तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा ।

पूरा हस्ताक्षर

(नाम......................................)

विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन कर्ता श्री..................................................................
...पी0एफ0सं0...........................पद..........................  कार्यालय/शाप/स्थान....................................................................
.......

दिनांक.............................. से नियमित सेवा में कार्यरत है।

(विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम......................................................

पद........................................................

(मुहर सहित)